20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
5रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
5रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी , अशोक नगर निग – 3410 – II

1. राम सिंह पुत्र श्री संयम सिंह
2. हरपाल सिंह पुत्र रामसिंह
3. महेश पुत्र राम सिंह लोधी

निवासीगण – ग्राम कुटवारा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी

...... आवेदकगण

बनाम

अशोक पुत्र प्रताप सिह निवासी ग्राम सिरनौदा तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त कदवाया तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ– 70/ 15–16 मे पारित आदेश 26.09.2016 के विरूद्व निगरानी समयावधि मे प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा एक पक्षीय रूप से ग्राम ईदौर तहसील ईसागढ स्थित भूमि का सीमाकंन कराया गया सीमाकंन प्रकरण मे आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र दिनांक 08.06.2016 जारी किया गया किन्तु सूचना पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नही है। केवल खाना पूर्ति की गई कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–3410–दो/2016 जिला– अशोकनगर

राम सिंह आदि विरूद्ध अशोक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत कदवाया, तहसील ईसागढ़, जिला–अशोकनगर के प्र.क्र. 04/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26–09–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 26/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	